स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु पात्रता एवं शर्ते :–

1. स्वयं सेवी संस्थायें जो भारत की विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत यथा–रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स उ0प्र0 पंजीकरण अधिनियम 1860, ट्रस्ट एक्ट एवं कम्पनी एक्ट (अनुच्छेद–25) के अन्तर्गत अलाभकारी कम्पनी आदि के रूप में पंजीकृत हो। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाहर कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थायें भी प्रदेश में कार्य हेतु अर्ह होंगी। ऐसी संस्थाओं को कार्य प्राप्त होने के उपरान्त अपना पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित करना होगा।
2. स्वयंसेवी संस्था जो अपने टर्नओवर का कम से कम 05 प्रतिशत अपने संसाधनों से सृजित करें।
3. गैर सरकारी संगठन (स्वैच्छिक संस्थाएँ) आयकर अधिनियम की धारा 12A एवं 80G के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा संस्था का पैन नम्बर हो।
4. संस्था का पूर्ण विवरण विगत वर्षो का टर्नओवर एवं किये गये कार्यो का विवरण संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए।
5. संस्था को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग की ब्लैक लिस्ट में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।
6. स्वयं सेवी संस्थायें फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन रेगुरेटरी एक्ट (एफ0सी0आर0ए0)/केन्द्रीय/राज्य के नियमों का पालन करती हो।
7. विभागों में कार्य करने के लिए एन0जी0ओ0 प्रकोष्ठ द्वारा सृजित विशिष्ट पहचान को आवेदन में इंगित करना अनिवार्य होगा।
8. आडिटेड बैलेन्स शीट जिसमें स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा विभागीय बाह्य संस्था अभिदानकर्ता/संस्थागत अभिदानकर्ता के स्रोत का 40 प्रतिशत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाये।
9. संस्था में अपने कार्यरत स्टाफ होना चाहिए।
10. संस्था में अपने विशेषज्ञ कार्मिकों की स्थिति का विवरण उपलब्ध कराया जाय।
11. जिला स्तर पर कार्य करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को कम से कम 03 वर्ष का सम्बन्धित विभाग के सेक्टर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
12. जिला स्तर पर स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्य का निर्धारण विगत 03 वर्षो में औसत रूपये 10 लाख वार्षिक एवं उससे अधिक के टर्नओवर के आधार पर किया जायेगा।
13. जिन संस्थाओं को उत्तर प्रदेश में कार्य करने का अनुभव होगा, उन्हें चयन में वरीयता दी जायेगी।
14. सम्बन्धित विभाग जिसमें स्वयं सेवी संस्था को कार्य किया जाना होगा उस विभाग के सेक्टर से सम्बन्धित अनुभव एवं योग्यता संस्था के कार्मिकों में होनी चाहिए।
15. ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संस्था के चयन का आधार डेस्क अप्रेजल एवं फिल्ड अप्रेजल में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान के आधार पर होगा।

28/05/19

(ओ0पी0 त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

सर्व शिक्षा अभियान के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए आवेदन–पत्र

आवेदित जनपद का नाम : .....

आवेदित योजना : .....

1. (क) संस्था (अभिकरण) का नाम व पूरा पता :

   (ख) पत्र व्यवहार का पता :

2. (क) संस्था की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन संख्या एवं दिनांक :

   एक्ट/अधिनियम जिसके अधीन पंजीकृत है।
   (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

   (ख) यदि संस्था के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हुआ है –

   तो संख्या/दिनांक तथा वैधता की तिथि –

   (ग) पैतृक संस्था यदि कोई हो तो उसका नाम –

3. प्रबंधकारिणी के सदस्यों के नाम व पते :
   (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

4. संस्था के संविधान और नियमावली की रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति :

5. अधिकृत प्रतिनिधि का नाम (प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी के प्रस्ताव द्वारा प्रस्तावित योजना के लिए अधिकृत) प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न करें।

6. संस्था के स्टाफ की स्थिति – (नाम, पद, पते, शैक्षिक योग्यता सहित विवरण संलग्न करें)

   (क) प्रशासनिक स्टाफ पूर्णकालिक ..... अंशकालिक .....

   (ख) कार्यक्रम स्टाफ पूर्णकालिक ..... अंशकालिक .....

   (ग) तकनीकी स्टाफ पूर्णकालिक ..... अंशकालिक .....

   (तकनीकी स्टाफ का तात्पर्य ऐसे कर्मियों से है जो कम्प्यूटर/सिविल वर्क/बेसिक शिक्षा आदि का अनुभव रखते हो, यदि संस्था द्वारा उपरोक्त कार्यो के लिए आवेदन किया जाय)

   (घ) क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ पूर्णकालिक ..... अंशकालिक .....

7. संस्था की स्थायी सम्पत्ति का विवरण (चल व अचल) 1.

   (नाम, मात्रा/संख्या व मूल्यांकन) 2.

   (पृथक से विवरण संलग्न करें) 3.

8. संस्था द्वारा पूर्व में किए गए कार्यो का अलग–अलग विवरण :–

(क) संस्था द्वारा किए गए कार्यो का नाम (वर्षवार) :

(ख) कार्यक्षेत्र (विकास खण्ड एवं ग्रामों का विवरण) :

(ग) आच्छादित लक्ष्य समूह :

(घ) वित्तीय व्यवस्था

1– कुल वार्षिक प्राप्त आय–

2– कार्य/योजना में वार्षिक व्यय की गई धनराशि।

(च) कार्यदायी संस्था का नाम व पता फोन नं0 सहित –

नोट :– यदि कई अभिकरणों से संबंद्ध कार्यक्रम संचालित किये हैं तो अभिकरणवार विवरण अलग से संलग्न करें।

9. स्वैच्छिक संस्था द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुभवों का विवरण यदि हो तो पृथक से संलग्न करें।

10. स्वैच्छिक संगठन के पास उपलब्ध सहभागिता एवं कौशल विकास की कार्य विधा तथा विषय विशेषज्ञों के नाम व पते–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

11. संस्था को विगत वर्षो में प्राप्त अनुदान एवं कार्य का विवरण–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य जिसके लिए अनुदान प्राप्त हुआ	कार्यक्षेत्र जनपद के नाम सहित	विभाग/स्रोत जहाँ से अनुदान प्राप्त हुआ है उसका स्वीकृति तथा अवमुक्त पत्र की संख्या/दिनांक	अनुदान की धनराशि	कार्य की प्रगति यदि मूल्यांकन हुआ हो तो उसके परिणाम संलग्न किये जाये
1	2	3	4	5	6	7

नोट :– संस्था को विगत तीन वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार उनके द्वारा संचालित उपक्रम/अभिकरणों से प्राप्त अनुदान का स्वीकृति पत्र एवं उस संस्था के नाम से संचालित बैंक/डाकघर के खातों में हस्तान्तरण की पुष्टि संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किये जाय।

12. प्रमाण पत्र :

1. प्रमाणित किया जाता है कि हमारे आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है और हम अनुदान की योजना में उल्लिखित सभी शर्तो का अनुपालन करेंगे तथा हमारे प्रस्ताव के स्वीकृत होने की दशा में हम अनुबंध पत्र निष्पादित करेंगे। यदि इस प्रस्ताव में उल्लिखित कोई सूचना असत्य तथा तथ्यों से परें हो तो जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि हमारी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही करें।
2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी अभिकरण धर्मनिरपेक्ष तथा गैर राजनीतिक है तथा किसी व्यक्ति, सम्प्रदाय या राजनीतिक दल विशेष के हितों के लिए कार्य नहीं करता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस संगठन को कभी भी किसी केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग अथवा और उसके किसी अभिकरण द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संस्था संचालन के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकद्मा किसी भी मा0 न्यायालय में लम्बित नहीं है और ना ही उनका आपराधिक पृष्ठभूमि है और ना ही संचालक के नियत्रंणाधीन अन्य स्वंयसेवी संस्था के विरूद्ध कोई कार्यवाही गतिमान है।

(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दिनांक नाम, मुहर सहित)

(अभिकरण के प्रबंधकारिणी के प्रमुख पदाधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक नाम, मुहर सहित)

संलग्न किये जा रहे अभिलेखों का विवरण :–

- प्रस्ताव/आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ अवश्य संलग्न हो।
  - पंजीयन/नवीनीकरण प्रमाण पत्र।
  - संस्था का पंजीकृत संविधान एवं नियमावली।
  - प्रबंधकारिणी सदस्यों के नाम व पते।
  - अधिकृत प्रतिनिधि का नाम– कार्यकारिणी सभा का कार्ययोजना निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट–1(क))
  - अधिकृत प्रतिनिधि का नाम– कार्यकारिणी सभा का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट–3)
  - स्टॉफ (प्रशासनिक, कार्यक्रम, तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत स्टॉफ) का नाम, पद, पते शैक्षिक योग्यता सहित विवरण पूर्णकालिक, अंशकालिक स्थिति सहित।
  - संस्था की स्थायी (चल/अचल) का विवरण।

एवं उस संस्था के नाम से संचालित बैंक/डाकघर के खातों में हस्तान्तरण की पुष्टि संबंधी प्रमाण पत्र।

- कार्यक्रम की आवेदित लागत का मदवार आवंटन।
- संस्था का विगत तीन वर्षो के लेखे का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षित आडिट आख्या, आय–व्यय लेखा, बैलेंस शीट।
- संगठन/संस्था को आयकर नियमावली की धारा 12–A के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति एवं 80 G
- संस्था का किसी विभाग/अभिकरण द्वारा काली सूची में न डाले जाने का शपथ पत्र–नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर।
- संस्था संचालक/प्रोपराईटर के पक्ष में जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

(संलग्न किये गये अभिलेखों को सही का निशान (✓) किया जाय)

(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दिनांक
नाम, मुहर सहित)

सर्व शिक्षा अभियान स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु

आवेदन पत्र को भरने के संबंध में निर्देश

1. आवेदन पत्र स्पष्टतः टाइप होना चाहिए अथवा कम्प्यूटर प्रिन्टिंग में प्रत्येक बिन्दु के लिए आवश्यक स्थान देते हुए भरा जायेगा।
2. प्रार्थना पत्र के समस्त संलग्न किये गये पत्राजात क्रमवार संख्या देते हुए अच्छी तरह से नत्थी किया जाय। समस्त पत्राजातों में संलग्नक सं0 मोटे–मोटे अक्षरों में अवश्य अंकित किया जाय। उचित होगा कि एक पुस्तिका के रूप में आवेदन पत्र को संलग्नकों सहित बाइन्ड (जिल्द साजी) कराकर प्रेषित किया जाय।
3. प्रार्थना पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (संलग्नकों सहित) स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मोहर सहित लगे होने चाहिये तथा प्रार्थना पत्र के साथ समस्त संलग्नक किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
4. यदि स्वैच्छिक संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उ0प्र0 अथवा सम्पूर्ण भारत वर्ष है, तो निम्नलिखित सूचनायें भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जाय–
   अ. संस्था के सभी शाखाओं का नाम एवं पता तथा उन शाखाओं द्वारा गत वर्ष किये गये महत्वपूर्ण कार्यो की संक्षिप्त आख्या।
   ब. शाखाओं का मुख्य संस्था से जुडे रहने से सम्बन्धित मुख्य उल्लेखनीय बिन्दु तथा मुख्य संस्था की शाखाओं के वित्तीय नियंत्रण आदि की व्यवस्था की संक्षिप्त पर स्वतः स्पष्ट आख्या।
5. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाओं का निर्धारण आवेदन पत्र के "अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर की संस्था के लिए आवश्यक अर्हतायें" अन्तर्गत किया गया है।
6. आवेदन पत्र के साथ नत्थी समस्त सत्यापित संलग्नक स्पष्टता पढ़ने योग्य हों और एक ही आकार के पृष्ठों में तथा प्रत्येक पृष्ठ के एक ही तरफ प्रिन्टेड अथवा हस्तलिखित अथवा प्रमाणित फोटोप्रति में हो।

परिशिष्ट–3

संस्था का नाम : .....

पूरा पता : .....

कार्यकारिणी के प्रस्ताव की प्रतिलिपि

प्रस्ताव संख्या : ..... दिनांक : .....

सर्व सम्मति से श्री/श्रीमती/सुश्री ..... को अधिकृत किया जाता है कि वे इस संस्था/संगठन की ओर से सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित सभी अनुबंधों, पत्र व्यवहारों, प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करेंगे और संस्था/संगठन की ओर से/संस्था के विरूद्ध योजित वादों की पैरवी करेंगे/करेंगी। श्री/श्रीमती/सुश्री ..... के नमूने के हस्ताक्षर संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा प्रमाणित करके प्रस्ताव की प्रति सक्षम अधिकारी को प्रेषित की जाय।

पूरा नाम
अध्यक्ष,
मुहर

हस्ताक्षर
(पूरा नाम)
सचिव/प्रबंधक,
मुहर,

श्री/श्रीमती/सुश्री ..... के
हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

अध्यक्ष
मुहर .....
दिनांक .....

- संस्था को विगत तीन वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार उनके द्वारा संचालित उपक्रम/अभिकरणों से प्राप्त अनुदान का स्वीकृत पत्र एवं उस संस्था के नाम से संचालित बैंक/डाकघर के खातों में हस्तान्तरण की पुष्टि संबंधी प्रमाण पत्र।
- कार्यक्रम की आवेदित लागत का मदवार आवंटन।
- संस्था का विगत तीन वर्षो के लेखे का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षित आडिट आख्या, आय–व्यय लेखा, बैलेंस शीट।
- संगठन/संस्था को आयकर नियमावली की धारा 12–A के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति एवं 80 G
- संस्था का किसी विभाग/अभिकरण द्वारा काली सूची में न डाले जाने का शपथ पत्र–नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर।
- संस्था संचालक/प्रोपराईटर के पक्ष में जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

(संलग्न किये गये अभिलेखों को सही का निशान (✓) किया जाय)

(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दिनांक
नाम, मुहर सहित)

परिशिष्ट–1 (क)

सर्व शिक्षा अभियान के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना

आवेदित जनपद का नाम : .....

आवेदित योजना : .....

1. संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना का विकास निम्नलिखित शीर्षकों में :–

   (क) प्रस्तावित कार्यक्रम का शीर्षक .....

   (ख) प्रस्तावना एवं प्रस्तावित क्षेत्र की पृष्ठभूमि .....

   (ग) परियोजना की आवश्यकता .....

   (घ) लक्ष्य एवं उद्देश्य .....

   (च) लाभार्थी संख्या, कार्यक्रम, रणनीति, कर्मियों के चयन, प्रशिक्षण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन तथा मुख्यधारा में समायोजन नीति .....

   (छ) गतिविधि तथा समय सारणी .....

   (ज) परियोजना की प्रस्तावित/अनुमानित उपलब्धि .....

   (झ) कार्य अवधि तथा अभिलेखीकरण की कार्यनीति .....

   (ट) कार्यक्रम की कुल लागत (मदवार विवरण संलग्न किया जाय) .....

   (ठ) संस्था द्वारा प्रस्तावित अंशदान .....

2. प्रस्तावित कार्ययोजना की समीक्षा/मूल्यांकन रिपोर्ट यदि कोई हो तो संलग्न करें .....

   .....

3. अन्य (उल्लेखनीय) विवरण साक्ष्य सहित संलग्न करें–

(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दिनांक
नाम, मुहर सहित)

(अभिकरण के प्रबंधकारिणी के प्रमुख
पदाधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक
नाम, मुहर सहित)